भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2017

III/निगरानी/सीधी/भू.रा./2017/6022

श्रीमती उर्मिला पति कौशल प्रसाद पाण्डे, निवासी– ग्राम नकझर खुर्द तहसील बहरी जिला सीधी (म.प्र.)

--आवेदिका

विरुद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर सीधी, जिला सीधी म.प्र.
2. जीवेन्द्र सिंह उर्फ लल्लू सिंह पिता रामानुज सिंह, निवासी– ग्राम अर्जुन नगर तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)

--अनावेदकगण

श्री विनोद भार्गव, अभि. द्वारा आज 11-12-17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15-12-17 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 15-12-17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

<u>न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील सिहावल, जिला सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक 75/अ–74/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 05/12/2017, 06/12/2017 में की जा रही कार्यवाही के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदिका का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, ग्राम नकझर खुर्द में स्थित भूमि पुराना सर्वे क्रमांक 898 पूर्व भूमि स्वामी निरमोही के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमियां है जिसे आवेदिका ने अलग–अलग विक्रय पत्रो द्वारा क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया है।

2. यहकि, बंदोबस्त के दौरान सर्वे क्रमांक 898, 899 एवं 901 से सर्वे क्रमांक 1125 एवं 898 से नया सर्वे क्रमांक 1124/1 निर्मित किया गया।

3. यहकि, बंदोबस्त के दौरान आवेदिका के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य

(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/सीधी/भू.रा./2017/6022

उर्मिला विरूद्ध शासन व जीवेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-04-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील त्योंथर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 75/अ-74/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 05-12-2017, 06-12-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे । (बी.एम.शर्मा) सदस्य	